

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर 15

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के श्री सीताराम अग्रवाल, व्याख्याता(वाणिज्य) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोठीनातनान-टोंक जिनको इस कार्यालय के आदेश शिविरा-माध्य/विजांच/11443/एस-316/2020/24 दिनांक 14.07.2020 के द्वारा दिनांक 24.06.2020 से निलम्बित किया गया जाकर, निलम्बन काल में मुख्यालय कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर किये जाने पर दिनांक 27.07.2020 से कार्यग्रहण किया। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक- एफ-4/एफ.डी./रुल्स/07 दिनांक 12.09.2008 के अन्तर्गत निम्नांकितानुसार किराये के मकान/स्वयं के मकान में रहने की तिथि/आवेदन तिथि से, जो कि उनके नाम के सामने अंकित की गई है, से मूल वेतन का 16 प्रतिशत मकान किराया भत्ता आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रसं	नाम व्याख्याता मय विषय	आवेदन करने की तिथि	मूल वेतन	मकान किराया भत्ता स्वीकृति तिथि
1	श्री सीताराम अग्रवाल, निलम्बित व्याख्याता(वाणिज्य)	06.08.2020	69200/	27.07.2020

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-2/निलम्बित/मकिम/निर्वाह भत्ता/2018-19/20
प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

दिनांक-09/11/2020

- 1 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा- सम्बन्धित मण्डल
- ✓ सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 3 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी- माध्यमिक, टोंक/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)टोंक
- 4 स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग निदेशक, कार्यालय हाजा
- 5 अनुभाग अधिकारी, रोकड़/वि.जांच/ओए-सी अनुभाग, कार्यालय हाजा
- 6 सम्बन्धित कार्मिक
- 7 निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर